



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 505) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

3 मार्च 2021

1E 5 u0fo0@xBu&31@2020&972/uEfoE ,o vkEfoE— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले वैशाली जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4269 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्र0	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना नं0	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
01	नगर पंचायत गोरौल	भटौलिया-01 चैनपुर भटौलिया-02 इनायतनगर-03 भिखनपुरा-04 चकिया-05 व्यासचक-06 चकव्यास-07 मुकन्दपुर-08 धाने गोरौल-27 नारायणपुर बेदौलिया-28 गोरौल भगवानपुर-29	इनायतनगर एवं गोरौल भगवानपुर (पूर्ण भाग)	उत्तर-फफुली, जिला मुजफ्फरपुर सीमा दक्षिण-हरशेर-9, चैनपुर-10 एवं बख्तौरगंज-18 पूरब-मोहनपुर-31, बहादुरपुर-32 एवं भानपुर बड़ेवा-33 पश्चिम-बाया नदी एवं प्रखण्ड पटेढी बेलसर अन्तर्गत ग्राम-मौना	20267

2. इस क्षेत्र को नगर पंचायत गोरौल कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

fcgkj&jkT;iky d vkn'k l]
vjfoUn dekj >k]
ljdkj d l;Dr lfpoA

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 505-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>